MANUAL –5

SEC 4. (1) (b) (v) THE RULES, REGULATIONS, INSTRUCTIONS, MANUALS AND RECORDS, HELD BY IT OR UNDER ITS CONTROL OR USED BY ITS EMPLOYEES FOR DISCHARGING ITS FUNCTIONS

The regulatory functions of this office are mainly as per the powers derived from the Essential Commodities Act 1955 and the orders and notification issued there under. Major orders are as follows:-

1. Textile (Development & Regulation) Order, 2001
2. Hank Yarn Packing Notification, 2003
3. Textile (Consumer Protection) Regulation, 1988
4. Textile Statistical Return Notification dated 26.12.1995
5. Textile Production Notification dated 21.8.1986.
6. Notification on Collection of Statistics – 27th February, 2013.

For administrative and financial matters the following are relevant.

1. Fundamental Rules & Supplementary Rules (FRSR)
2. General Financial Rules, 2017 (GFR)
3. Delegation of Financial Powers Rules, 1978 (DFPR)
4. CCS (Pension) Rules, 2021
5. CCS (Conduct) Rules, 1964

INSTRUCTIONS:

1. Head Quarters Circular No: 26(2)/HY/CSS/2001/107 dated 22.3.2001 regarding the procedure to be followed in respect of defaulters of Hank Yarn Packing Notification, 2003.
2. Revised guidelines for Textile Centres Infrastructure Development Scheme (TCIDS) for Textile Parks.
3. Revised guidelines for Group Workshed Scheme (GWSS) for decentralized powerloom weaving industry.
4. Guidelines for establishment of Apparel Park for Exports (AEP)

MANUALS:

1. Compilation of Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)
2. Compilation of International Textile Statistics
3. Compilation of Textile Statistics
4. Manual of Office Procedure

RECORDS:

1. Service records of all Officers and employees of this organization.
2. Records related to all Policy matters, Hank Yarn Obligation, Subsidy Schemes etc.
3. Records of pending court cases.

मैनुअल – 5

धारा 4. (1) (b) (v) वे नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड, जो इसके पास या इसके नियंत्रण में हैं, या जिनका उपयोग इसके कर्मचारी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए करते हैं।

इस कार्यालय के नियामक कार्य मुख्य रूप से 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' और उसके तहत जारी आदेशों व अधिसूचनाओं से प्राप्त शक्तियों के अनुसार हैं। मुख्य आदेश निम्नानुसार हैं:-

1. वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001
2. हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना, 2003
3. वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) विनियमन, 1988
4. वस्त्र सांख्यिकीय रिटर्न अधिसूचना, दिनांक 26.12.1995
5. वस्त्र उत्पादन अधिसूचना, दिनांक 21.8.1986
6. सांख्यिकी संग्रह पर अधिसूचना – 27 फरवरी, 2013

प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में निम्नलिखित बातें प्रासंगिक हैं।

1. फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स (एफआरएसआर)
2. जनरल फाइनेंशियल रूल्स, 2017 (जीएफआर)
3. फाइनेंशियल पावर्स डेलीगेशन रूल्स, 1978 (डीएफपीआर)
4. सीसीएस (पेंशन) रूल्स, 2021
5. सीसीएस (कंडक्ट) रूल्स, 1964

निर्देश:

1. मुख्यालय का दिनांक 22.3.2001 का परिपत्र संख्या: 26(2)/ 'हैंया /सीएसएस/2001/107 - 'हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना, 2003' के नियमों का पालन न करने वालों (चूककर्ताओं) के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में।
2. वस्त्र पार्कों के लिए 'टेक्सटाइल सेंटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम' (टीसीआईडीएस) के संशोधित दिशानिर्देश।
3. विकेंद्रीकृत पावरलूम बुनाई उद्योग के लिए 'समूह वर्कशेड स्कीम' (जीडब्ल्यूएसएस) के संशोधित दिशानिर्देश।
4. निर्यात के लिए 'अपैरल पार्क' (एईपी) की स्थापना के दिशानिर्देश।

मैनुअल:

1. प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ़्स) का संकलन
2. अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र सांख्यिकी का संकलन
3. वस्त्र सांख्यिकी का संकलन
4. कार्यालय प्रक्रिया नियमावली

रिकॉर्ड:

1. इस संगठन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड।
2. सभी नीति मामलों, हैंक यार्न बाध्यता, सब्सिडी योजनाओं आदि से संबंधित रिकॉर्ड।
3. लंबित न्यायालयीन मामलों के अभिलेख ।